न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), निवाई जिला टोंक

प्रार्थना पत्र संख्या 96 वर्ष 2024

गैरू बनाम प्रभुलाल वगै.

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म के तामील में जारी हुए
29.10.2024	मूल वाद के साथ श्री रमेश कुमार शर्मा एड0 ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। कार्यालय की रिपोर्ट होकर प्राप्त हुआ अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थी वकील की प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय बहस सुनी गयी। एक पक्षीय बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे प्रबल प्रतीत होता है। अतः प्रतिपक्षीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 261/6 वाके ग्राम हमीदपुरा तहसील निवाई जिला टोंक में आगामी तारीख पेशी तक मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। तलबी अप्रार्थीगण की जरिये रजि. ऐडी की जाकर पत्रावली दिनांक 19/11/24 को पेश हो।	5095-5097 04/11/24
27/11/24	मूलवाद में प्रार्थना पत्र [illegible] शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। वादी का वाद नोट प्रेस्ड खारिज किया जा चुका है। अतः TI प्रार्थना पत्र चलने का कोई औचित्य नहीं है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुदा नम्बर से कम हो जावे। शामिल मूलवाद हो।	Not Press [illegible]